दिनांक 29 जून 2020 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

वर्ष 2020-21 के पूर्व के भवन/भूमियों के स्वामी की शास्ती माफ करने के प्रस्ताव पर महापौर परिषद ने अहम निर्णय लेते हुए शासन को प्रेषित करने का लिया फैसला

भिलाई नगर/ आज समय प्रातः 11:00 बजे आहूत की गई महापौर परिषद की बैठक में विभिन्न विषयों पर महापौर परिषद के सदस्यों ने चर्चा करते हुए बहुत अहम फैसले जनता के हित को ध्यान में रखते हुए लिए ! महापौर परिषद की बैठक महापौर श्री देवेंद्र यादव की अध्यक्षता एवं उपायुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में संपन्न हुआ! इससे पूर्व आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी की उपस्थिति में हुई समीक्षा बैठक में स्पैरो सॉ. प्रा. लि. के द्वारा यह संज्ञान में लाने पर की 17183 भवन/भूमियों के स्वामी जो वर्ष 2020-21 के पूर्व शास्ती अधिरोपित होने के वजह से तथा कोविड- 19 के कारण आर्थिक स्थिति दयनीय होने का हवाला देकर जमा करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं तथा शास्ती राशि अधिरोपित न की जाए तो शेष राशि भुगतान कर सकते हैं! इसलिए ऐसे 17183 भवन/भूमियों के स्वामी की वित्तीय वर्ष 2020-21 के पूर्व शास्ती राशि माफ कर दी जाए! संपत्तिकर विभाग द्वारा लाए गए इस प्रकरण में निगम क्षेत्र अंतर्गत स्थित भवन/भूमि स्वामियों से उनके स्वामित्व के भवनों/भूमियों पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के पूर्व के समस्त बकाया राशि जैसे संपत्तिकर , शिक्षा उपकर, समेकित कर, यूजर चार्ज एवं अधिभार की राशि का एकमुश्त भुगतान 30 नवंबर 2020 तक किया जाता है तो ऐसी दशा में ऐसे भवन/भूमि स्वामियों की शास्ती की राशि नियमों को शिथिल कर माफ की जा सकती है! इस प्रकरण पर महापौर परिषद के द्वारा चर्चा की गई और सर्वसम्मति से पास करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया , इस निर्णय के उपरांत निगम क्षेत्र के 17183 लोगों को लाभ मिलेगा! शास्ती अधिरोपित करने का प्रावधान उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उप धारा के अंतर्गत यदि ऐसा व्यक्ति जिसका दायित्व था कि वह 31 मार्च के पूर्व स्वनिर्धारण पत्रक प्रस्तुत करें , यदि यह पत्रक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उस पर चूक के लिए 1000 रुपए शास्ती अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है!

स्वच्छता निरीक्षक के पदोन्नति का प्रस्ताव भी पारित नगर पालिक निगम भिलाई में कार्यरत गेंद राम सिन्हा, भैयालाल असाटी, स्वप्निल नायडू, चंद्रपाल हरमुख एवं भुनेश्वरी तिवारी स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत है जो वर्तमान में स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा में उत्तीर्ण भी है! इन्होंने स्वच्छता निरीक्षक का पद रिक्त होने का उल्लेख करते हुए अपनी पात्रता एवं योग्यता अनुसार पदोन्नति के लिए अनुरोध करने पर प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष लाया गया! इस प्रकरण को महापौर परिषद ने पास करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया है! वर्तमान में 5 पदों पर पदोन्नति से स्वच्छता निरीक्षक कार्य कर रहे हैं! महापौर श्री यादव ने यह कहा कि शासन स्तर पर भी इनके पदोन्नति के लिए प्रयास

करेंगे! इन विषयों पर भी हुई चर्चा बीएसपी द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए समेकित कर के भुगतान हेतु 6 महीने की मोहलत प्रदान करने तथा आवेदक अमन मेहता , प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन भिलाई , दुर्ग के द्वारा संपत्ति कर के छूट के संबंध में आवेदन दिया गया है! इन प्रस्तावों पर भी महापौर परिषद के द्वारा चर्चा की गई! नेहरू नगर पूर्व ब्लाक के तिलक उद्यान का रखरखाव एवं देखभाल कर विकसित करने के लिए ग्रीन पार्क सोसायटी नेहरू नगर द्वारा आवेदन दिया गया है , इस प्रकरण में महापौर परिषद ने जोन आयुक्त से कहा कि स्थानीय लोगों से चर्चा कर पुनः प्रकरण प्रस्तुत करें!

महापौर परिषद की बैठक में महापौर परिषद के सदस्य नीरज पाल, लक्ष्मीपति राजू, सुभद्रा सिंह, दिवाकर भारती, जोहन सिन्हा, दुर्गा प्रसाद साहू , सदरीन बानो, सुशीला देवांगन, जी राजू, सत्येंद्र बंजारे, सूर्यकांत सिन्हा एवं सोशल लोगन सहित निगम के जोन आयुक्त एवं विभाग प्रमुख उपस्थित रहे!